

## मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

क्रमांक 03 /रेरा/आदेश/2017

भोपाल, दिनांक 16 जून, 2017

### कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण हेतु मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को लोक सूचना अधिकारी तथा सचिव, मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है।

  
सचिव,

मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

पृ.क्रमांक 03 /रेरा/आदेश/2017

भोपाल, दिनांक 16 जून, 2017

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ ।
2. निज सचिव, मा. सदस्य (न्यायिक/तकनीकी) की ओर सूचनार्थ ।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वित्त/स्थापना/लेखा शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आई.टी. प्रभारी (वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु)
6. समस्त कार्यालयीन स्टाफ, मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
सचिव,

मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण